निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1935 (श0)

(सं0 पटना 123)   पटना, शुक्रवार, 31 जनवरी 2014

सं० 01/रेगु०वि०–1000–10/2013—212

गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

29 जनवरी 2014

विषयः–राज्य में चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में गन्ना कृषकों को समय पर ईख मूल्य भुगतान में सहयोग हेतु पेराई सत्र 2013–14 में चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने पर 5 रु0/क्विंटल की दर से ईख मूल्य अनुदान उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति।

राज्य की चीनी मिलों के समक्ष चीनी की कीमतों में आई भारी गिरावट, चीनी की रिकवरी में गिरावट एवं राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता एवं गन्ने का मूल्य एवं चीनी की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि में असंतुलन की स्थिति आदि कारणों से चीनी मिलों को हो रहे आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए राज्य के ऑपरेशनल चीनी मिलों के आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चालू पेराई सत्र 2013–14 में ईख मूल्य भुगतान में सहायता हेतु चीनी मिलों को उनके द्वारा क्रय किये गये गन्ने पर 5 रु0/क्विंटल की दर से अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. पेराई सत्र 2013–14 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा लगभग 70 लाख टन गन्ना क्रय किये जाने की संभावना है, जिसपर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पेराई सत्र 2013–14 में खरीद की गयी गन्ने पर 5 रु0 प्रति क्विंटल की दर लगभग 35 करोड़ रुपये व्यय होना संभावित है।

3. अनुदान भुगतान हेतु आवश्यक 35 करोड़ रुपयों की राशि को बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रुप में प्राप्त किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. उपरोक्त लाभ बिहार ईख (आपूर्ति एव खरीद विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्र आरक्षण के आलोक में राज्य से गन्ना क्रय करने वाली राज्य के बाहर के चीनी मिलों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उपरोक्त कंडिका 2 एवं 3 में अंकित राशि के विमुक्ति एवं वितरण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(i) माहवार ईख खरीद के आधार पर चीनी मिलें अनुदान की देयता गणना कर विभाग को विपत्र उपलब्ध करायेगी। विपत्र के साथ ईख मूल्य देय, भुगतान एवं अवशेष राशि का प्रतिवेदन भी संलग्न किया जायेगा। मिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा संबंधित मिल को देय अनुदान की राशि Bank Transfer/A/c Payee Cheque के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) चीनी मिलों द्वारा अनुदान की राशि का उपयोग पेराई वर्ष 2013–14 के लिए ईख खरीद पर ईख मूल्य भुगतान मद में ही किया जायेगा। इसमें यदि किसी प्रकार का मिल प्रबंधन द्वारा विचलन किया गया तो वैसी स्थिति में अनुदान स्वरुप उपलब्ध करायी गयी सम्पूर्ण राशि मिल से वापस ले ली जायेगी तथा उन मिलों के विरुद्व सख्त दंडात्मक कानूनी कार्रवाई भी प्रारंभ की जायेगी।

(iii) अनुदान राशि के व्यय से संबंधित मासिक प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र चीनी मिलों द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) स्थानीय ईख पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि स्वीकृत अनुदान की राशि का उपयोग पेराई सत्र 2013–14 के ही गन्ना मूल्य भुगतान मद के विरुद्व हो तथा इससे संबंधित पूर्ण विवरण मासिक प्रतिवेदन में विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 123-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in